

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ 9/सहायता/2021/3856

दिनांक:- 11/01/2021

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2021 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि/बाढ़/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के तत्काल रेस्टोरेशन के क्रम में शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(14)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/21/14987-93 दिनांक 26.11.2021 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 107/2021-22 के अनुसार बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ़, चक्रवात आदि, 122-खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनस्थापना, 02-बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता, 01- (बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता, 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता राशि 75% एवं राज्य निधि राशि 25%)के अन्तर्गत निम्नांकित मरम्मत कार्यो की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी कर, अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त बारां, को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाए।

कार्यकारी एजेन्सी- अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां

तहसील- बारां,

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
1	Parwan lift Minor no. 1,2,3 of RMC on both side bank (07 KM)	4.20
2	Parwan lift Minor no. 1,2,3,4 and 5 of LMC on both side bank (08 KM)	4.80
3	Parwan lift of LMC RD 6000 to 11800 m on both side banks (11.6KM)	6.96
	Total	15.96
तहसील- बारां,		
1	Parwati Main Canal between Km. 33 to 43 on both side banks (20 Km.)	12.00
2	Minor offtaking between Km. 6 to 15 of Rajawah Branch of PMC on both side banks (33.80 Km.)	20.28
3	Minor offtaking between Km. 13 to 21 of Parwati Main Canal on both side banks (22.20 Km.)	13.32
	Total	45.60
तहसील- मांगरोल		
1	Parwati Main Canal between Km. 45 to 58 on both side banks (26 Km.)	15.60
2	Minor offtaking between Km. 39 to 48 of Parwati Main Canal on both side banks (36.20 Km.)	21.72
	Total	37.32
तहसील- अन्ता		
1	Parwan lift Minor no. 6 of LMC RD 0 to 7000 M on both side bank (14 KM)	8.40
2	Parwan lift LMC RD 12000 to 22000 m on both side bank (20Km)	12.00
3	Parwan lift Minor no. 11,12 and 13 of LMC on both side bank (10KM)	6.00
4	Parwan lift Distributory no. 1 of LMC RD 0 to 7000 m on both side banks (14KM)	8.40
5	Parwan lift Minor no. 1,2,3,4,5 and 6 of distributory no. 1 of LMC on both side bank (25KM)	15.00
6	Parwan lift Distributory no. 2 of LMC RD 0 to 5000 m on both side bank (10KM)	6.00
7	Parwan lift Distributory no. 3 of LMC RD 0 to 6000 m on both side bank (12KM)	7.20
	Total	63.00

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
तहसील- अटरू		
1	Parwati Main Canal between Km. 2 to 11 on both side banks (18 Km.)	10.80
2	Rajawah branch of Parwati Main Canal between Km. 2 to 8 on both banks (12 Km.)	7.20
	Total	18.00
कार्यकारी एजेन्सी-अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबडा		
तहसील- छबडा		
1	Urgent Repair of Main Canal of LMC Chain 0 to 468 both Side bank (28.04 KM)	16.82
2	Urgent repair of Disty. No 1 , 2 Ch. 0 to 240 both side bank (14.58 Km)	8.75
3	Urgent Repair of total 8 Minors (14.13 Km) both side bank	8.48
4	Urgent Repair of Main Canal of RMC Chain 0 to 536 both Side (32.16 KM)	19.30
5	Urgent Repair of total 3 Minors of both side bank (9 Km)	5.40
	Total	58.75
तहसील- छीपाबडौद		
1	Urgent Repair of Utwali Main Canal	1.50
2	Urgent Repair of Phaliya Main Canal	1.50
	Total	3.00
कार्यकारी एजेन्सी- अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां		
तहसील- किशनगंज		
1	बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना की माईनर नं. 1 की मरम्मत का कार्य (on both side bank 4.92 Km.)	3.44
2	बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना की माईनर नं. 2 की मरम्मत का कार्य (on both side bank 4.62 Km.)	3.23
3	बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना की माईनर नं. 3 की मरम्मत का कार्य (on both side bank 7.92 Km.)	5.54
4	बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना की माईनर नं. 4 की मरम्मत का कार्य (on both side bank 4.38 Km.)	3.07
5	बाढ़ से क्षतिग्रस्त इकलेरा सागर मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य	1.50
6	बाढ़ से क्षतिग्रस्त कालीसोत तालाब की बांध एवं नहरों की मरम्मत का कार्य	1.50
7	बाढ़ से क्षतिग्रस्त छत्रपुरा बांध की मरम्मत का कार्य	1.50
8	बाढ़ से क्षतिग्रस्त महोदरी तालाब एवं नहरों की मरम्मत का कार्य	1.50
9	बाढ़ से क्षतिग्रस्त नाहरगढ़ तालाब एवं नहरों की मरम्मत का कार्य	1.50
	Total	22.78
तहसील-शाहबाद		
1	बाढ़ से क्षतिग्रस्त रातई लघु सिंचाई परियोजना में मरम्मत का कार्य	1.50
2	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सेमली फाटक लघु सिंचाई परियोजना में मरम्मत का कार्य	1.50
3	बाढ़ से क्षतिग्रस्त नारायणोडा लघु सिंचाई परियोजना में मरम्मत का कार्य	1.50
4	बाढ़ से क्षतिग्रस्त खटका लघु सिंचाई परियोजना में मरम्मत का कार्य	1.50
	Total	6.00
	Grand Total	270.41

- उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :-
1. कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम/खण्ड द्वितीय छबड़ा/खण्ड तृतीय बारां, होगी। निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
 2. इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य 30 दिवस के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा।
 3. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ, कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल 20 फरवरी 2022 के पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 4. डिफेक्ट लाईबिलिटी अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावे।
 5. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावे कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
 6. यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित नहरों/तालाबों का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
 7. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
 8. कार्यों का निष्पादन वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
 9. एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों एवं नौम्स की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
 10. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
 11. "कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है" इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

जिला कलेक्टर
(सहायता) बारां

दिनांक:- 11/01/2022

क्रमांक:- एफ 9/सहायता/2021/3857-63

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त बारां को उक्त कार्यों की अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां, खण्ड द्वितीय छबड़ा एवं खण्ड तृतीय बारां।
5. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बारां।
6. कोषाधिकारी, बारां।
7. प्रभारी अधिकारी, लेखा/केश अनुभाग, जिला कलेक्टर, बारां।

जिला कलेक्टर
(सहायता) बारां